



नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन: एक संक्षिप्त टिप्पणी मार्च 25, 2010

1. पृष्ठभूमि

नागरिक पहल द्वारा परिवर्तन पिछले पाँच वर्षों में परम्परागत विकास के वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है। यह इस समझ पर आधारित है कि मौलिक परिवर्तन राज्यों, निगमों तथा नागरिक समाज के मध्य विभाजनों पर जोर दिये बिना व्यक्तियों अथवा समूहों के रूप में लोगों द्वारा स्वयं ही किया जा सकता है। नागरिक प्रवर्तित विकास परम्परागत निर्धनता को घटाने के कार्यक्रम और विकास सेक्टर की परिधि से भी परे है।

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन की प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक बदलाव के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नागरिकता और नागरिक संगठन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आईएसएस द्वारा (2007–2009)¹ सम्पादित वैचारिक पहल (थिंक टैंक इनिशिएटिव) में नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के सिद्धान्त पर चिन्तन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान विश्व के दस अभ्यासकर्ताओं, शिक्षाशास्त्रियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिक क्रिया सृजित सामाजिक बदलाव के प्रति नये उपागमों पर विचार एवं चर्चाओं के माध्यम से विचार करने की आवश्यकता की पहचान की गई है।

यह अधिकाधिक रूप से आवश्यक प्रतीत होता है कि निजी सहायता प्रदाता एजेन्सियों एवं उनके अन्य सहयोगी (भागीदार) संगठनों की भूमिका सहित नागरिक अभिकर्ताओं के प्रकार्यों को पुनः परिभाषित किया जाये।²

इस विषय पर व्यावहारिक दृष्टि से अन्वेषण करने हेतु कई स्तरों पर पहल की गई है यथा कन्टेक्ट के द्वारा आरम्भ किया गया क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम और उच्च विकास गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अपनायी जा रही पद्धतियों के समक्ष इस अवधारणा का परीक्षण करने हेतु एक सार्वजनिक कार्यशाला का आयोजन किया गया।³ इन गतिविधियों और ऐसी ही अन्य प्रवृत्तियों ने दर्शाया है कि इस अवधारणा के प्रति भरपूर रुचि है किन्तु नीति, शोध, व्यवहार और सामाजिक कार्य सम्बन्धी प्रभावों को संबोधित करते हुए उन पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।

2. नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन की अवधारणा

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन (सिविक ड्रिवन चेन्ज—सीडीसी) समाज में नागरिक नेतृत्व के द्वारा परिवर्तन प्रक्रियाओं के बारे में विचारों, सोच और संवाद का एक समन्वित रूप है। यह एक स्थापित सिद्धान्त नहीं है, अपितु यह एक उभरता हुआ मार्ग तथा आगे बढ़ती अवधारणा है। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन से तात्पर्य भिन्न स्थानों में भिन्न प्रकार का है। इस प्रसंग में संदर्भ और इतिहास महत्वपूर्ण है। इस विचार का निर्माण अभ्यास, संलग्नता और ठोस स्थितियों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर हुआ है। यह मानकर चलने की बजाय कि यह एकदम नया विचार है, हमें यह समझना होगा कि नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन अवधारणा के प्रमुख तत्व विभिन्न संदर्भों में सम्पन्न चर्चाओं और व्यवहारों से प्राप्त किये गये हैं। तथापि, नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन की दृष्टि के माध्यम से परिवर्तन की ओर देखने से कुछ नवाचारयुक्त विचार सामने आते हैं जिनसे विचार प्रक्रिया में

¹ इस प्रक्रिया पर अधिक जानकारी के लिये कृपया <http://www.iss.nl/portals/civic-Driven-change-initiative> देखें।

² फुलर, ए तथा के। बीकार्ट (एड्स) (2008) सिविक ड्रिवन चेन्ज: सिटिजन्स इमेजिनेशन इन एक्शन। दी हेग : आईएसएस।

³ सीडीसी पर कन्टेक्ट के क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.civicedrivenchange.org देखें। आईएसएस, दी हेग, में 22 जून, 2009 में “The Practice of Civic Driven Change”. विषय पर आयोजित कार्यशाला की रिपोर्ट के लिए कृपया <http://www.thebrokeronline.eu/en/articles/Civic-Driven-Change> देखें।

गतिशीलता आती है और जो लोग सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमों या प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं उनकी चिन्तन धारा का नया रूप एवं नया मार्ग प्रशस्त होता है।

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन नागरिकता, अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार और लोकतंत्र पद्धति के बारे में नये तरीके से विचार करते हुए नई सोच, नई दृष्टि विकसित करने का प्रयास करता है और यह नागरिकों को केवल अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के रूप में देखने के बजाय नागरिक सक्रियता (समाज कैसे काम करता है इसमें बदलाव लाने के लिये लोगों द्वारा कार्यवाही) पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है। इसके लिये सामाजिक अभिक्रम (एजेन्सी) की आवश्यकता है (समाज परिवर्तन के लिये लोगों की क्षमताओं कुशलताओं और कल्पना को सही दिशा प्रदान करने हेतु)। इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने का अर्थ है व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के अभिक्रमों को उत्प्रेरित किया जाये। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन केवल विकास के सेक्टर में ही नहीं अपितु कहीं भी सही स्थानों पर किया जा सकता है। लोग नागरिक हैं और इस बात की चिन्ता किये बिना कि वे किस सेक्टर में काम करते हैं, अपना अभिक्रम (एजेन्सी) स्वयं बना सकते हैं। इस प्रकार नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन से तात्पर्य सह-सृजन एवं सीमाओं के (सेक्टरल) उस पार तक कार्यवाही करना है। यह लोगों का एकत्रीकरण करने की बजाय उन्हें संगठित करने के बारे में है। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन के निम्न तीन तत्व इस अवधारणा के अर्थ को स्पष्ट करते हैं –

- नागरिक (नागरिकों पर जोर अर्थात्, विशेष ध्यान, मानकीय, कर्ताओं के मूल्यों की ओर ध्यान)
- प्रवर्तित – जन ऊर्जा, अभिक्रम – एजेन्सी)
- परिवर्तन – (सेक्टर बहुल एवं सहायता/विकास से दूर, परिवर्तनकारी, राजनैतिक, ढाँचागत)

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन का विचार इसके आगे इस अनुभूति पर आधारित है कि परिवर्तन एक क्रम में सीधी रेखा की तरह नहीं होता बल्कि यह जटिल और बिखरी हुई किया है जिसका अर्थ है कि परिवर्तन एक स्पष्ट कारण प्रभाव तरीके से नहीं आयेगा। इसलिये, नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन विचार के अन्तर्गत समाजों की ओर देखने के एक तरीके के रूप में और यह समझने के लिये कि उनमें बदलाव किस प्रकार आयेगा, एक जटिल उपागम प्रस्तुत किया गया है। समाज परस्पर अत्यधिक जुड़ाव वाली व्यवस्थाएं होते हैं जिनमें परस्पर अनेक क्रियाएं करने वाले अभिकर्ता होते हैं जो कि स्वःसृजित और व्यवहार को आत्मसात करने वाले ऐसे प्रतिमानों का सृजन करते हैं जिनके बारे में पूर्वाभास नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, आप परिवर्तन की योजना नहीं बना सकते किन्तु इसे प्रभावित कर सकते हैं।

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन को प्रोत्साहन देने वाली पहलों के प्रकारों और सहयोग के विभिन्न रूपों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने हेतु काम के नये तरीके खोजने आवश्यक है। नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन अवधारणा अनेक मूल्यों और प्रारंभ बिन्दुओं को साथ लेकर चलती है और इन्हीं के साथ-साथ इस अवधारणा के अन्तर्गत विडम्बनाओं और बदलाव सम्बन्धी पहलों की जोखिमों पर नये सिरे से ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया जाता है।

नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन अवधारणा में निहित मूल्यों के उदाहरण इस प्रकार हैं –

- इस बात की मान्यता कि परिवर्तन की पहल कोई भी कर सकता है और परिवर्तन की पहल परिवर्तन की आकांक्षा के साथ आरम्भ होती है।
- विकास सेक्टर अथवा “सहायता प्रदत्त परिवर्तन” के लिये उपयुक्त भूमिका की तलाश
- यह समझ कि नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन राजनैतिक है और यह शक्ति सम्बन्धों को सम्बोधित करता है।
- यह स्वीकार किया जाये कि विभिन्न भूमिकाओं में लोगों और समूहों द्वारा सेक्टरों के पार और सीमाओं के परे की गई पहलों के माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है।
- नागरिक प्रवर्तित परिवर्तन में सहयोग के लिये सहयोगी पक्षों के मध्य विश्वास और परस्पर गहन सम्बन्धों की आवश्यकता होती है।
- जोखिम के प्रति संवेदनशीलता, परिवर्तन के लिये एक पहल को विभाजित करने की जोखिम, समान रूप से और चेतन्य रूप से।